86

प्रेषक,

जिलाधिकारी
हरिद्वार।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 एन0जी0टी0,
नई दिल्ली।

पत्रांकः 766 /एल0बी0ए0–2024 दिनांकः 03 मई, 2024

विषय– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या–102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या–102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 में दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन एवं वांछित रिपोर्ट समयान्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 में प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं, जिस हेतु जिला प्रशासन की ओर से सचिव, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की अध्यक्षता में निम्नवत् जांच समिति का गठन किया गया। यथाः–

1–	सचिव, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।	–	अध्यक्ष
2–	नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।	–	सदस्य
3–	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड हरिद्वार।	–	सदस्य
4–	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूडकी।	–	सदस्य
5–	सहायक, नगर आयुक्त नगर निगम, हरिद्वार।	–	सदस्य
6–	अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, जगजीतपुर, हरिद्वार।	–	सदस्य

उक्त समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 01.05.2024 को कार्यालय हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार में बैठक आहुत की गयी। बैठक में हुए विचार–विमर्श उपरान्त वांछित बिन्दुवार आख्या/Action Taken Report पत्र संख्या–422/नो0/कन0/318/2020–21 दिनांक 02.03.2024 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

अतः समिति की बिन्दुवार आख्या/Action Taken Report सादर प्रेषित हैं।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,

(पी0एल0 शाह)
अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।
03/05/24

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46 बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।
2– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– Shri. Rahul Verma Advocate (L.L.M.) Supreme Court Of India Additional Advocate General State Of Uttarakhand/Respondent 137, Tower No. 10, Supreme Enclave, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091 Mobile No. 9717706032

अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।

87

संयुक्त आख्या / Action Taken Report

सं0: 422 / नो0 / कन0 / 318 / 2020–21 दिनांक:02 मई, 2024

जिलाधिकारी हरिद्वार

महोदय,

कृपया अपने आदेश आदेश संख्या 738 / एल0बी0ए0–2024 दिनांक 29.04.0204 जिसके द्वारा मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या 102 / 2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के क्रम में समिति गठित की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के अनुपालन में दिनांक 01.05.2024 को कार्यालय हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार में उक्त समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक में हुए विचार–विमर्श उपरान्त वांछित बिन्दुवार आख्या / Action Taken Report निम्नवत् है :–

बिन्दु संख्या	विवरण	वांछित आख्या / Action Taken Report
1–	क्या बेली राम आश्रम कनखल हरिद्वार के समीप हो रहे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के निर्माण कार्य से गंगा नदी में सीवेज, कन्शट्रक्शन वेस्ट तथा अन्य वेस्ट सीधे गंगा में डाला जा रहा है, जिससे गंगा नदी प्रदूषित हो रही है ?	अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, जगजीतपुर, हरिद्वार, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार तथा अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार वर्तमान में बेली राम आश्रम कनखल हरिद्वार के समीप हो रहे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के निर्माण कार्य से सीवेज, कन्शट्रक्शन वेस्ट तथा अन्य वेस्ट सीधे गंगा में नहीं डाला जा रहा है।
2–	उक्त अपार्टमेन्ट निर्माण की अनुमति सक्षम सक्षम स्तर से ली गयी है कि नहीं, जैस–	
	1– एच0आर0डी0ए0 से 'हां' तो कब ली गयी।	अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार भू–स्वामी द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर पूर्व में पृथक– पृथक मानचित्र संख्या HRDA/R/0423/18-19 दिनांक 04.06.2018 को एवं HRDA/R/0424/ 18-19 दिनांक 15.06.2018 को प्रस्तुत किया गया, जोकि प्राधिकरण से दिनांक 08.08.2019 में स्वीकृत कराते हुए निर्माण कार्य चालू किया गया था। स्थल पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र से विचलन किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा भवन स्वामी श्री निर्दोष कुशवाहा आदि के नाम से वाद संख्या नो0 / कन0 / 411 / 2019–20 दिनांक 19.11.2019 में योजित एवं श्री आशीष टुल्ली के नाम से नो0 / कन0 / 318 / 2020–21 दिनांक 07.10.2020 को योजित किया गया। तदोपरान्त श्री निर्दोश कुशवाहा आदि द्वारा अनाधिकृत निर्माण को शमन कराये जाने हेतु आवेदन संख्या HRDA/NC/OTS/ 0111/21-22 प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 27.07.2023 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपरोक्त ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत स्वीकृत शमन मानचित्र से पुनः विचलन करते हुए भू–स्वामी द्वारा निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा निर्माण को दिनांक 01.11.2023 द्वारा सील किया गया है। वर्तमान में प्रश्नगत सम्पत्ति सील अवस्था में है। विपक्षी द्वारा पुनः ओ0टी0एस0 2024 के अन्तर्गत सील सुदा भवन को शमन कराने हेतु आवेदन संख्या HRDA/NR/OTS/0003/24-25दिनांक 04.04.2024 को प्रस्तुत किया हुआ है, जो कि परीक्षण में विचाराधीन है।

SNA

	2– प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'हां' तो कब ली गयी।	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रूड़की की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जलवायु अधिनियमों के अन्तर्गत उक्त अपार्टमेन्ट को बोर्ड से सी0सी0ओ0(Consolidated Consant to Operate) दिनांक 07.06.2023 को निर्गत किया गया है जिसकी वैधता अवधि 30.09.2024 तक है।
	3– बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) के संबंध में सिंचाई विभाग से 'हां' तो कब ली गयी।	अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 117 दिनांक 13.05.2022 की छायाप्रति संलग्न है।
3–	क्या प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी से 130 मीटर की दूरी की परिधि में हो रहा है। इस संबंध में मा0 एन0जी0टी0 का हालिया/ वर्तमान प्रावधान क्या है ?	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी से 130 मी0 की दूरी की परिधि में नहीं हो रहा है बल्कि बाढ़ परिक्षेत्र अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत इस खण्ड द्वारा चिन्हित् की गयी बाढ़ आवर्ती रेखा से बाहर लगभग– 130 मी0 की दूरी पर हो रहा है तथा निर्माण गंगा नदी के बाढ़ परिक्षेत्र में नहीं आ रहा है।
4–	क्या प्रश्नगत ऐरिया गंगा रिजुवरेशन आदेश–2016 के अन्तर्गत डिमार्केटेड है ?	संबधित विभाग से आख्या ली जानी उचित होगी।
5–	क्या प्रश्नगत ऐरिया बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत है ?	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार प्रश्नगत ऐरिया बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं आता है।
6–	बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) से प्रश्नगत निर्माण स्थल की दूरी कितनी है ?	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) से प्रश्नगत निर्माण स्थल की दूरी लगभग 130 मी0 है।
7–	भविष्य में प्रश्नगत स्थल में गंदे पानी की निकासी एवं सीवेज निकासी की क्या व्यवस्था होगी ?	वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, हरिद्वार तथा अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, जगजीतपुर, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार भविष्य में गंदे पानी की निकासी हेतु अन्य समीपस्थ क्षेत्रों हेतु जो कार्ययोजना /व्यवस्था बनायी जायेगी, उसमें प्रश्नगत निर्माण/ भवन को भी सम्मिलित किया जायेगा। सीवेज निकासी के लिए सीवर संयोजन नियमित है।

सदस्य/ क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रूड़की।

02/5/24
सदस्य/अधिशासी अभियन्ता,
अनुरक्षण शाखा (गंगा),
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
जगजीतपुर, हरिद्वार।

02/05/2024
सदस्य/सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, हरिद्वार

02/05/24
सदस्य/ अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

02.5.24
सदस्य/नगर मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार

02/5/24
अध्यक्ष/ सचिव,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

89

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 738 दिनांक 29.04.2024 के क्रम में आख्या :-

बिन्दु संख्या	विवरण	आख्या
1-	क्या बेली राम आश्रम कनखल हरिद्वार के समीप हो रहे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के निर्माण कार्य से गंगा नदी में सीवेज, कन्शट्रक्शन वेस्ट तथा अन्य वेस्ट सीधे गंगा में डाला जा रहा है, जिससे गंगा नदी प्रदूषित हो रही है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
2-	उक्त अपार्टमेन्ट निर्माण की अनुमति सक्षम सक्षम स्तर से ली गयी है कि नहीं, जैसे-	अन्य विभाग से संबंधित है।
	1- एच0आर0डी0ए0 से 'हां' तो कब ली गयी।	अन्य विभाग से संबंधित है।
	2- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'हां' तो कब ली गयी।	अन्य विभाग से संबंधित है।
	3- बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) के संबंध में सिंचाई विभाग से 'हां' तो कब ली गयी।	अन्य विभाग से संबंधित है।
3-	क्या प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी से 130 मीटर की दूरी की परिधि में हो रहा है। इस संबंध में मा0 एन0जी0टी0 का हालिया/ वर्तमान प्रावधान क्या है ?	प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी से 130 मी0 की दूरी की परिधि में नहीं हो रहा है बल्कि बाढ़ परिक्षेत्र अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत इस खण्ड द्वारा चिन्हित् की गयी बाढ़ आवर्ती रेखा से बाहर लगभग- 130 मी0 की दूरी पर हो रहा है तथा निर्माण गंगा नदी के बाढ़ परिक्षेत्र में नहीं आ रहा है।
4-	क्या प्रश्नगत ऐरिया गंगा रिजुवरेशन आदेश-2016 के अन्तर्गत डिमार्केटेड है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
5-	क्या प्रश्नगत ऐरिया बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत है ?	प्रश्नगत ऐरिया बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं आता है।
6-	बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) से प्रश्नगत निर्माण स्थल की दूरी कितनी है ?	बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) से प्रश्नगत निर्माण स्थल की दूरी लगभग 130 मी0 है।
7-	भविष्य में प्रश्नगत स्थल में गंदे पानी की निकासी एवं सीवेज निकासी की क्या व्यवस्था होगी ?	अन्य विभाग से संबंधित है।

01/05/24

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड,
हरिद्वार

सचिव महोदय,

कृ0 आदेश पत्र संख्या 738/एल0बी0ए0 दिनांक 29.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर वांछित आख्या/Action Taken Report उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:--

बिन्दु संख्या--01 प्रश्नगत बिन्दु प्राधिकरण से संबंधित नहीं है। गंगा प्रदुषण जल संस्थान से संबंधित है।

बिन्दु संख्या--02(1) भू-स्वामी द्वारा प्रश्नगत भुखण्ड पर पूर्व में पृथक-पृथक मानचित्र संख्या HRDA/R/0423/18-19 दिनांक 04.06.2018 को एवं HRDA/R/0424/18-19 दिनांक 15.06.2018 को प्रस्तुत किया गया, जोकि प्राधिकरण से दिनांक 08.08.2019 में स्वीकृत कराते हुए निर्माण कार्य चालू किया गया था। स्थल पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र से विचलन किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा भवन स्वामी श्री निर्दोश कुशवाहा आदि के नाम से वाद संख्या नो0/कन0/411/2019-20 दिनांक 19.11.2019 में योजित एवं श्री आशीष टुल्ली के नाम से नो0/कन0/318/2020-21 दिनांक 07.10.2020 को योजित किया गया। तदोपरान्त श्री निर्दोश कुशवाहा आदि द्वारा अनाधिकृत निर्माण को शमन कराये जाने हेतु आवेदन संख्या HRDA/NC/OTS/0111/21-22 प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 27.07.2023 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपरोक्त ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत स्वीकृत शमन मानचित्र से पुनः विचलन करते हुए भू-स्वामी द्वारा निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा निर्माण को दिनांक 01.11.2023 द्वारा सील किया गया है। वर्तमान में प्रश्नगत सम्पत्ति सील अवस्था में है। विपक्षी द्वारा पुनः ओ0टी0एस0 2024 के अन्तर्गत सील सुदा भवन को शमन कराने हेतु आवेदन संख्या HRDA/NR/OTS/0003/24-25 दिनांक 04.04.2024 को प्रस्तुत किया हुआ है, जो कि परीक्षण में विचाराधीन है।

बिन्दु संख्या--02(2) प्रदुषण नियंत्रण की बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 4001288 दिनांक 07.06.2023 संलग्न है।

बिन्दु संख्या--02(3) सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, सिचांई खण्ड, हरिद्वार को अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 117 दिनांक 13.05.2022 संलग्न है।

बिन्दु संख्या--02(4) सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, सिचांई खण्ड, हरिद्वार को अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 117 दिनांक 13.05.2022 के अनुसार प्रश्नगत भुखण्ड बाढ़ परिक्षेत्रण-2012 के अन्तर्गत इस खण्ड द्वारा चिन्हित की की गयी 100 वर्षीय बाढ आवृत्ति लाईन से बाहर लगभग 130 मी0 की दूरी पर स्थित है।

बिन्दु संख्या--03 उपरोक्त बिन्दु संख्या 02(3) एंव 02(4) के अनुसार।

बिन्दु संख्या--04 प्रश्नगत बिन्दु सिंचाई विभाग से संबंधित है।

बिन्दु संख्या--05 उपरोक्त बिन्दु संख्या 02(3) एंव 02(4) के अनुसार।

बिन्दु संख्या--06 उपरोक्त बिन्दु संख्या 02(3) एंव 02(4) के अनुसार।

बिन्दु संख्या--07 नगर निगम, हरिद्वार से संबंधित है।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुवार आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

अधिशासी अभियन्ता
ह0-रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।

91

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 738 दिनांक 29.04.2024 के क्रम में आख्या :–

बिन्दु संख्या	विवरण	आख्या
1–	क्या बेली राम आश्रम कनखल हरिद्वार के समीप हो रहे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के निर्माण कार्य से गंगा नदी में सीवेज, कन्शट्रक्शन वेस्ट तथा अन्य वेस्ट सीधे गंगा में डाला जा रहा है, जिससे गंगा नदी प्रदूषित हो रही है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
2–	उक्त अपार्टमेन्ट निर्माण की अनुमति सक्षम सक्षम स्तर से ली गयी है कि नहीं, जैसे–	अन्य विभाग से संबंधित है।
	1– एच0आर0डी0ए0 से 'हां' तो कब ली गयी।	अन्य विभाग से संबंधित है।
	2– प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'हां' तो कब ली गयी।	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जलवायु अधिनियमों के अन्तर्गत उक्त अपार्टमेन्ट को बोर्ड से सी0सी0ओ0(Consolitated Consant to operate) दिनांक 07.06.2023 को निर्गत किया गया है जिसकी वैधता अवधि 30.09.2024 तक है।
	3– बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) के संबंध में सिंचाई विभाग से 'हां' तो कब ली गयी।	अन्य विभाग से संबंधित है।
3–	क्या प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी से 130 मीटर की दूरी की परिधि में हो रहा है। इस संबंध में मा0 एन0जी0टी0 का हालिया/ वर्तमान प्रावधान क्या है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
4–	क्या प्रश्नगत ऐरिया गंगा रिजुवरेशन आदेश–2016 के अन्तर्गत डिमार्केटेड है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
5–	क्या प्रश्नगत ऐरिया बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
6–	बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) से प्रश्नगत निर्माण स्थल की दूरी कितनी है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
7–	भविष्य में प्रश्नगत स्थल में गंदे पानी की निकासी एवं सीवेज निकासी की क्या व्यवस्था होगी ?	अन्य विभाग से संबंधित है।

01/05/24

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, रूड़की

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 738 दिनांक 29.04.2024 के क्रम में आख्या :-

बिन्दु संख्या	विवरण	आख्या
1-	क्या बेली राम आश्रम कनखल हरिद्वार के समीप हो रहे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के निर्माण कार्य से गंगा नदी में सीवेज सीधे गंगा में डाला जा रहा है, जिससे गंगा नदी प्रदूषित हो रही है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
	कन्शट्रक्शन वेस्ट तथा अन्य वेस्ट सीधे गंगा में डाला जा रहा है, जिससे गंगा नदी प्रदूषित हो रही है ?	वर्तमान में कन्शट्रक्शन वेस्ट तथा अन्य वेस्ट सीधे गंगा नदी में नहीं डाला जा रहा है।
2-	उक्त अपार्टमेन्ट निर्माण की अनुमति सक्षम सक्षम स्तर से ली गयी है कि नहीं, जैस-	
	1- एच0आर0डी0ए0 से 'हां' तो कब ली गयी।	अन्य विभाग से संबंधित है।
	2- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'हां' तो कब ली गयी।	अन्य विभाग से संबंधित है।
	3- बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) के संबंध में सिंचाई विभाग से 'हां' तो कब ली गयी।	अन्य विभाग से संबंधित है।
3-	क्या प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी से 130 मीटर की दूरी की परिधि में हो रहा है। इस संबंध में मा0 एन0जी0टी0 का हालिया/ वर्तमान प्रावधान क्या है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
4-	क्या प्रश्नगत ऐरिया गंगा रिजुवरेशन आदेश-2016 के अन्तर्गत डिमार्केटेड है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
5-	क्या प्रश्नगत ऐरिया बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
6-	बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) से प्रश्नगत निर्माण स्थल की दूरी कितनी है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
7-	भविष्य में प्रश्नगत स्थल में सीवेज निकासी की क्या व्यवस्था होगी ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
	भविष्य में प्रश्नगत स्थल में गंदे पानी की निकासी क्या व्यवस्था होगी ?	भविष्य में गंदे पानी की निकासी हेतु अन्य समीपस्थ क्षेत्रों हेतु जो कार्ययोजना /व्यवस्था बनायी जायेगी, उसमें प्रश्नगत निर्माण/ भवन को भी सम्मिलित किया जायेगा।

वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम,
हरिद्वार

अधिशासी अभियन्ता,
नगर निगम,
हरिद्वार

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 738 दिनांक 29.04.2024 के क्रम में आख्या :–

बिन्दु संख्या	विवरण	आख्या
1–	क्या बेली राम आश्रम कनखल हरिद्वार के समीप हो रहे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के निर्माण कार्य से गंगा नदी में सीवेज सीधे गंगा में डाला जा रहा है, जिससे गंगा नदी प्रदूषित हो रही है ?	सीवेज सीधे गंगा में नहीं डाला जा रहा है।
	कन्शट्रक्शन वेस्ट तथा अन्य वेस्ट सीधे गंगा में डाला जा रहा है, जिससे गंगा नदी प्रदूषित हो रही है ?	नगर निगम, हरिद्वार से सम्बन्धित है।
2–	उक्त अपार्टमेन्ट निर्माण की अनुमति सक्षम सक्षम स्तर से ली गयी है कि नहीं, जैस–	
	1– एच0आर0डी0ए0 से 'हां' तो कब ली गयी।	अन्य विभाग से संबंधित है।
	2– प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'हां' तो कब ली गयी।	अन्य विभाग से संबंधित है।
	3– बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) के संबंध में सिंचाई विभाग से 'हां' तो कब ली गयी।	अन्य विभाग से संबंधित है।
3–	क्या प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी से 130 मीटर की दूरी की परिधि में हो रहा है। इस संबंध में मा0 एन0जी0टी0 का हालिया/ वर्तमान प्रावधान क्या है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
4–	क्या प्रश्नगत ऐरिया गंगा रिजुवरेशन आदेश–2016 के अन्तर्गत डिमार्कटेड है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
5–	क्या प्रश्नगत ऐरिया बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
6–	बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) से प्रश्नगत निर्माण स्थल की दूरी कितनी है ?	अन्य विभाग से संबंधित है।
7–	भविष्य में प्रश्नगत स्थल में सीवेज निकासी की क्या व्यवस्था होगी ?	सीवेज निकासी के लिए सीवर संयोजन नियमित है।
	भविष्य में प्रश्नगत स्थल में गंदे पानी की निकासी क्या व्यवस्था होगी ?	नगर निगम, हरिद्वार से सम्बन्धित है।

6/5/24

अधिशासी अभियन्ता,
अनुरक्षण शाखा (गंगा)
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
जगजीतपुर, हरिद्वार

94

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता-चतुर्थ
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

प्रेषित,

सचिव
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

पत्रांक - 117 / सिं0ख0ह0/स0अ0च0/ दिनांक 13-05-2022

विषय- गंगा नदी के किनारे से निर्माण की दूरी के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - आपका पत्रांक - 483/नो0/कन0/(411/19-20)(318/2020-21) दिनांक 26.04.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, प्रश्नगत निर्माण में शिकायतकर्ता श्री नीरज छाछर के शिकायती पत्र दिनांक 10.12.2021 के सम्बन्ध में गंगा नदी से 200 मी0 की परिधि में आता है अथवा नहीं तथा वर्तमान में इस सम्बन्ध में लागू शासनादेश की भी वांछना की गयी है।-

उक्त के सम्बन्ध में अवगतनीय है कि श्री निर्दोष कुमार पुत्र श्री गोपाल कुमार, श्री दीपक कुशवाहा एवं अजय कुशवाहा, श्री घनश्याम कुशवाहा एवं श्री निखिल कुशवाहा पुत्र यादराम ग्राम जगजीतपुर, परगना-ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार का विषयक भूखण्ड बाढ़ परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के अन्तर्गत इस खण्ड द्वारा चिन्हित की गयी 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति लाईन से बाहर लगभग 130 मी0 की दूरी पर स्थित है तथा गंगा नदी के बाढ़ परिक्षेत्रण में नहीं आ रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त अवगतनीय है कि शासन द्वारा अन्तिम अधिसूचना शासनादेश सं0 - 828/II(2)-2018-06(65)-2016 दिनांक 11.05.2018 जारी की गयी है, जिसमें हरिद्वार जनपद में चण्डी पुल से कलसिया तक गंगा नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण में आने वाले समस्त क्षेत्र को प्रतिबन्धित एवं निर्बन्धित श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके अनुसार बाढ़ परिक्षेत्रण के अन्तर्गत आने वाली भूमियों के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

सहायक अभियन्ता-चतुर्थ
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

पत्रांक : /स0अ0च0/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।
2. उपराजस्व अधिकारी, सिंचाई खण्ड हरिद्वार।

सहायक अभियन्ता-चतुर्थ
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

19/IV Letter-405

95

Uttarakhand Pollution Control Board

Regional Office,Roorkee,

Irrigation Design Building, Canal Road

Roorkee (Haridwar), Uttarakhand 247667

Provisional Consent Order (CCA)

Application No-4001288 Dated: 07/06/2023

Ref No-17273/UEPPCB/Roorkee RO/Haridwar/CTO/4001288 Valid upto: 30/09/2024

Besides streamlining and simplifying of regulatory regime,Uttarakhand Pollution Control Board has taken initiative in from of introduction of Consolidated Consent and Authorization (CC&A) which provides for a one shot application and clearance of the consents under Water Act,Air Act and Authorization under Hazardous Wastes Rules for a period of 5 years.Consolidated Consent and Authorisation Board issues consolidated consent and Authorization to an industrial unit for operation of plant/carrying out industrial activity specifying following conditions.

Consolidated Consent and Authorisation

In exercise of the power conferred under section-25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974, under section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution)Act-1981

and Authorization under rule 3(c)& 5(5)of the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules�2008 framed under the E(P)Act-1986.

And whereas Board has received consolidated Application No.(CtO:CCA-Expan) 4001288 and Dated 06/06/2023 for the consolidated consent and authorization(CC&A) of this Board under the provisions / rules of the aforesaid Acts Consent & Authorization is hereby granted as under.

CONSENT AND AUTHORISATION : **(under the provisions / rules of the aforesaid environmental acts)**

To

M/s Nikhil Kumar,Nirdosh Kushwha,Deepak Kushwha,Ajay Kushwha,Rajveer Kumar

Ganges View Appartment Near Harigir Ashram,Kankhal Haridwar Haridwar

Tehsil: Haridwar

District: Haridwar

Phone No: 9897179949

Consent Order No: 4001288 Expan **Valid upto: 30/09/2024**

All Conditions under the AIR ACT-1981 WATER ACT-1974 HAZARDOUS ACT-2008 shall be Applicable to you as mentioned in the detailed Consent Order ***

GENERAL CONDITIONS :-

a) This order is provisional order and detailed order is considered as final.

b) All the conditions & provisions under the Water Act 1974, the Air Act 1981 and the Environment (Protection) Act �1986 and the rules made there under shall be complied with

c) All the conditions & provisions under the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules 2008 as amended shall be complied

d) The applicant shall provide portholes, ladder, platform etc at chimney(s) for monitoring the air emissions and the same shall be open for inspection to/and for use of Board�s staff. The chimney(s) vents attached to various sources of emission shall be designed by numbers such as S-1, S-2, etc. and these shall be painted/ displayed to facilitate identification.

e) The industry shall take adequate measures for control of noise levels from its own sources within the premises so as to maintain ambient air quality standards in respect of noise to less than 75dB(A) during day time and 70dB(A) during night time. Daytime is reckoned in between 6 a.m. and 10 p.m. and nighttime is reckoned between 10 p.m. and 6 a.m.

f) In case of change of ownership/management the name and address of the new owners/ partners/ directors/ proprietor or equipment or working conditions as mentioned in the consents form / order should immediately be intimated to the Board.

g) Industry shall have to display data outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emissions and solid hazardous wastes generated within the factory premises.

h) The CCA shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the Uttarakhand Pollution Control Board.

i) Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the CCA order by CCA holder shall constitute a breach of this CCA.

j) Adequate plantation shall be carried out all along the periphery of the industrial premises in such a way that the density of plantation is atleast 1000 trees per acre of land and a green belt of 5 meters width is developed.

K) The applicant shall have to submit the returns in prescribed form regarding water consumption and shall have to make payment of water cess to the Board under the Water Cess Act- 1977.

***** Note : ACT-Specific, Industry-specific, Area-specific Conditions alongwith Product, Waste water effluent details shall be precisely mentioned in the DETAILED Consent Order.**

***** Note :This is only provisional communication. The final Consent/Authorization in hard copy with duly signed by competent authority shall the final and valid Consent/Authorization.**

For and on behalf of
Uttarakhand Pollution Control Board

RO Roorkee
Sh. Subhash Panwar
Mobile no-9410393545

[redacted]